न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 66/2020 (जीसीएमएस न0 2020/00102)

1. बद्रीलाल पुत्र किशोरीलाल उम्र 56 वर्ष जाति मीना निवासी बोडी का बांस महेन्दीपुर तहसील टोडाभीम, जिला करौली।

अपीलांट

बनाम

1. रामखिलाडी पुत्र किशोरीलाल
2. कालूराम पुत्र किशोरीलाल
3. बाबूलाल पुत्र किशोरीलाल, समस्त जाति मीना निवासी बोडी का बांस मेहन्दीपुर टोडाभीम जिला करौली
4. तहसीलदार तहसील टोडाभीम, जिला करौली

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्ध निर्णय व डिग्री न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम मु0न0 24/2020 दिनांक 27.10.2020)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांट की ओर से श्री नरेन्द्र गुप्ता
2. रेस्पोडेटान की ओर से श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल

निर्णय दिनांक 08.07.2022

1. अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0न0 24/2020 डिकी दिनांक 27.10.2020 के विरूद्ध पेश की गयी है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी ने दावा बाबत बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया की ग्राम मेहन्दीपुर की आराजी ख0न0 67/481 रकबा 0.09 एयर, 68 रकबा 0.01 एयर गै0मु0बोरिंग, 69 रकबा 0.35 एयर , 70 रकबा 0.50 एयर, 71 रकबा 0.09 एयर, 74 रकबा 0.02 एयर, 91 रकबा 0.26 एयर, 92 रकबा 0.01 एयर गै0मु0कुआ, 93 रकबा 0.38 एयर, 94 रकबा 0 59 एयर , 94 /483 रकबा 0.10 एयर कुल किता 11 कुल रकबा 2.40 है0 स्थित ग्राम मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली जिसमे वादी/रेस्पो0 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी/अपीलांट न0 1 ता 3 , 3/4 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 3 ने मौके पर बहामी बंटवारा दावा दायरी से 10 वर्ष पूर्व समाज के पंच पटेलो से करा लिया था। उसी अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। लेकिन रिकार्डेड बंटवारा नही होने के कारण आये दिन डोल मेड पर विवाद बना रहता है। दिनांक 12.7.16 को वादी ने प्रतिवादीगण से तहसील मे चलकर लिखित [illegible] कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। जिस कारण वादी को यह दावा [illegible] प्रतिवादीगण पेश करना पडा। वादी ने अधिनस्थ न्यायालय से मुताबिक कब्जा विधिवत बटवारा करने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की इस्तदुआ चाही गई थी।

Scanned with CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार करने से अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व पूर्व मे एक अपील संख्या 03/2019 इस न्यायालय मे पेश की गई थी। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 29.01.2020 को अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की गई थी कि तहसीलदार पक्षकारो को विधिवत नोटिस जारी करे , पक्षकारो की उपस्थिति मे स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार करे तथा बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

2. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनकर , तहसीलदार टोडाभीम से पुनः बंटवारा स्कीम मंगवाई जाकर वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील पुनः इस न्यायालय मे पेश की गई।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष अभिभाषको द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 3 सगे भाई है। वाद, अपील विषयक आराजीयात मे प्रत्येक का समभाग से 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। सभी पक्षकारान का ग्रेवल सडक की तरफ बराबर बराबर हिस्सा है तथा तदनुसार ही काबिज है. उक्त आराजीयात मे बोरिंग लगी हुई है तथा पाईप लाईन डली हुई है एवं ग्रेवल सडक बनी हुई है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2020 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। प्रारंभिक निर्णय व डिक्री द्वारा प्रत्येक सहकृषक का सम्भाग से 1/4, 1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेख जमाबंदी मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार निर्णित किया गया है। जिसमे अपीलांट/प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड निर्देशो की पालना नही की गई है। अपीलांट को प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व विधिवत रूप से समस्त सहकृषको को पृथक पृथक नोटिस तामिल कर सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। पक्षकारान की अनुपस्थिति मे एक पक्षीय रूप से मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर विभाजन रिपोर्ट पर की गई आपत्तियो पर गौर नही कर उक्त आपत्तियो को सरसरी तौर पर खारिज करने मे त्रुटि की है। वाद विषयक आराजीयात पर ग्रेवल सडक बनी हुई है। प्रत्येक सहकृषक को सडक से लगी हुई भूमि उनके हिस्से के अनुरूप दिया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। अपीलांट को ग्रेवल सडक से लगी हुई कोई भूमि नही दी गई है। अपीलांट को बावजूद लिखित आपत्ति के पीछे की तरफ की ज़मीन दी गई है। जबकि रेस्पो0 को सडक से लगी हुई समीपवर्ती भूमि दी गई है। नियमो के अन्तर्गत प्रत्येक सहकृषक को उसके हिस्से के अनुसार अच्छी से अच्छी , बुरी से बुरी अच्छी लोकेशन की भूमि सडक से लगी हुई भूमि दिया जाना चाहिए था। अपीलांट उसके हिस्से के अनुसार सडक से लगी हुई भूमि पर काबिज है परन्तु निर्णय व डिक्री जैर अपील के जरिये उसे सडक से दूर पीछे की भूमि सर्वथा गलत एवं त्रटिपूर्ण रूप से दी गई है। सडक से लगी भूमि ज्यादा कीमती है। उपरोक्त प्ररिस्थितियो मे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण

Scanned with CamScanner

अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है। ख0न0 67,69,70 व 71 की भूमि सडक से लगी हुई है। ग्रेवल सडक ख0न0 123 मे स्थित है इस बाबत प्रतिवादी/अपीलांट की शहादत लिया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि वह सडक से लगी हई भूमि प्रत्येक सहकृषक को उनके हिस्से के अनुसार सम्भाग से विभाजन मे देवे। अपीलांट द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई है।

1. 1987 आर आर डी पेज 489 पैरा 10
2. 2017 आर बी जे 299 (एल.बी.)
3. 2019 आर बी जे 213
4. 1986 आर आर डी 583

5. रेस्पोडेन्टान के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि विवादित आराजीयात के मामले मे रेस्पो0 रामखिलाडी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे एक वाद बाबत बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था जिसमे दोनो पक्षो को सुना जाकर दिनांक 08.05.17 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी। जिसकी पालना मे बंटवारा पत्र दिनांक 31.7.2020 को पेश हुआ। अपीलांट के ऐतराज सुनकर दिनांक 27.10.20 को आदेश एवं फाईनल डिक्री पारित कर दी गई। अपीलांट के द्वारा अपील में आधारहीन एवं कानूनी प्रावधानो के विपरीत तथ्य अंकित किये गये है। फाईनल डिक्री पारित करने से पूर्व तहसीलदार को मौका कमिश्नर नियुक्त किया था, समस्त तथ्यों एवं प्रावधानों को नजर रखते हुए एवं बंटवारे मे आई आराजी के मामले मे पक्षकारान को रास्ते की सुवि को मध्य नजर रखते हुए व पुराने कब्जे को ध्यान मे रखते हुए बंटवारे के नियम 18 से 21 के तहत विधिवत रूप से फाईनल डिक्री पारित की गई है, जिसमे किसी भी तरह बैधानिक त्रुटि नही है। अपीलांट ने अपील के पैरा संख्या 8 मे अंकित किया है कि प्रकरण मे तनकीयात कायम नही की गई और ना ही साक्ष्य हुई, जबकि अंतिम डिक्री की कार्यवाही मे तनकी बनाने की व साक्ष्य की कोई आवश्यकता नही है। तनकी एवं साक्ष्य का मामला प्रारंभिक डिक्री से सबंधित है। जिसके लिए अपीलांट को पृथक से अपील करनी चाहिए थी। प्राथमिक डिक्री एवं फाईनल डिक्री दोनो डिक्रीयो को एक ही अपील से निस्तारित नही किया जा सकता। यह अपील फाईनल डिक्री दिनांक 27.10.20 से सबंधित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश एवं फाईनल डिक्री दिनांक 27.10.20 की पालना स्थगित की गई है। फाईनल डिक्री की कार्यवाही मे अपील की मेरिट पर सुनवाई करने का कोई प्रावधान नही है। अपीलांट द्वारा प्रकरण मे अनावश्यक बिलम्ब करने के लिए यह अपील प्रस्तुत की गई है, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तहत न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा पूर्व मे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.01.19 के विरूद्व इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई थी। जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 29.01.20 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध मे तहसीलदार को निर्देशित करने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 01.07.20 के द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये परन्तु उनके द्वारा जारी नोटिस पर किसी प्रकार का डिस्पेच न0 अंकित

Scanned with CamScanner

नही है तथा नोटिस की प्रथम पडत पर केवल मात्र "प्राप्त" का अंकन हो रहा है एवं नोटिस के पुश्त पर क्र.स. 1 पर केवल मात्र रेस्पो0 रामखिलाडी के हस्ताक्षर है , नम्बर 2 पर निर्मला पुत्र बद्री प्रसाद मीणा , क्र.स. 3 पर पंकज पुत्र बाबूलाल अंकित है तथा क्र. स. 4 पर काडुराम पुत्र पंकज मीणा के सामने भाई का बच्चा का अंकन हो रहा है जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा जारी नोटिसो की तामिल प्रोपर नहीं हुई है। तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.7.20 को मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार की गई है उसमे रेस्पो0 बाबूलाल पुत्र किशोरी लाल बाहर होने के कारण उपस्थित नही होना दर्शाया गया है तथा कालूराम व बद्रीलाल ने हस्ताक्षर करने से इंकार करना दर्शाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी वकील द्वारा बंटवारा स्कीम पर आपत्ति का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.10.20 को पेश किया गया था जिसका निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.20 को खारिज की गई है, खारिज करने का कोई विधिक कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित नही किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र आदेश 18 नियम 17, 17(क) सपठित धारा 151 प्रस्तुत किया गया था जिसके सबंध मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नही किया गया है। पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद सडक की और स्थित भूमि के सबंध मे है । अपीलांट का कथन रहा कि भूमि ख0न0 67,69,70 व 71 की भूमि सडक से लगी हुई है। विभाजन स्कीम अनुसार जो बंटवारा किया गया है उसमे अपीलांट को ख0न0 69 व 70 मे से 0.01 एयर का 1/4 हिस्सा केवल रास्ते के उपयोग हेतु दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा शामलाती खातेदार श्री बाबूलाल पुत्र किशोरी लाल के वरवक्त बंटवारा स्कीम मौके पर मौजूद नही होने के उपरान्त भी बंटवारा स्कीम तैयार की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। अतः हमारे मतानुसार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के मु0न0 24/20 निर्णय व डिग्री दिनांक 27.10.2020 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार पक्षकारो को विधिवत नोटिस जारी करे, पक्षकारान की प्रोपर तामिल होने पर पक्षकारो की उपस्थिति मे स्वयं मौके पर जाकर अच्छी मे से अच्छी , बुरी मे से बुरी (By meats and bounds)अनुसार स्कीम तैयार करे। तहसीलदार से बंटवारा स्कीम प्राप्त होने पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के यहाँ दिनांक 08.08.2022 को उपस्थित होवे।

8. निर्णय आज दिनांक 08.07.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner